न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए / 24 / 2021

उनवान

1. रामलाल पिता श्रीराम जाति गुर्जर निवासी बरोदा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा
2. गंगाराम पिता श्रीराम जाति गुर्जर निवासी बरोदा, तहसील जहाजपुर
3. सत्यनारायण पिता श्रीराम जाति गुर्जर निवासी बरोदा, तहसील जहाजपुर
4. गंगा पिता श्रीराम जाति गुर्जर निवासी बरोदा, तहसील जहाजपुर
5. सुमित्रा पिता श्रीराम जाति गुर्जर निवासी बरोदा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

.......अपीलार्थीगण

बनाम

1. शांति बेवा भैरू गुर्जर, उम्र बालिग पेशा खेती निवासी–बरोदा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज))
2. हरिओम पुत्र भैरू गुर्जर नाबालिग बविलायत माता संरक्षक शांति देवी पत्नी भैरू गुर्जर निवासी–बरोदा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. धन्ना पुत्र भैरू गुर्जर नाबालिग बविलायत माता संरक्षक शांति देवी पत्नी भैरू गुर्जर निवासी–बरोदा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. गायत्री पुत्री भैरू गुर्जर नाबालिग बविलायत माता संरक्षक शांति देवी पत्नी भैरू गुर्जर निवासी–बरोदा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. वसुन्धरा पुत्री भैरू गुर्जर, नाबालिग बविलायत माता संरक्षक शांति देवी पत्नी भैरू गुर्जर निवासी–बरोदा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा

..........रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के
प्रकरण संख्या 402 / 2018(129 / 2016) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2019

अभिभाषक :

1. **श्री संजय सिंह हाडा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
2. **श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता प्रत्यर्थी**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश

दिनांक 13.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरोदा पटवार हल्का बरोदा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा मे आराजी खसरा संख्या 979/848 रकबा 4 बीघा, 980/848 रकबा 5 बीघा कुल कीता 2 कुलिया रकबा 9 बीघा कृषि जमीन स्थित है जिसके खातेदार कास्तकार वादीगण है। तथा आराजी खसरा संख्या 979/848 के पुराने खसरा संख्या 848 व 848/4छ व 980/848 के पुराने खसरा संख्या 848/4ख थे जिनका रेकार्ड संलग्न दावा है।

2. ग्राम बरोदा पटवार हल्का बरोदा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा मे आराजी खसरा संख्या 938/848 रकबा 5 बीघा व 939/848 रकबा 4 बीघा कुल कीता 2 कुलिया रकबा 9 बीघा स्थित है जिसके खातेदार कास्तकार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है।

3. वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि जमीन आराजी खसरा संख्या 848 मे से जरिये अलोटमेन्ट मिसल संख्या 1266 सन् 1966 में से 5 बीघा व जरिये अलोटमेन्ट मिसल संख्या 2285 सन् 1983 से 4 बीघा कुल कीता 2 कुलिया रकबा 9 बीघा कृषि जमीन मोडा पिता मांगू गूजर के नाम अलोतमेक हुई थी व उक्तकृषि जमीन की नियमानुसार मिसल तैयार करके मोडा पिता मांगू गूजर को सिपुर्द कर कब्जा संभलाया था तथा अलोटमेन्ट मिसल माफिक आराजी खसरा संख्या 838 के नक्शा के दक्षिण दिशा में मोडा पिता मांगू गुर्जर को वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि जमीन सिर्पद की थी तथा अलोटमेन्ट मिसल मे भी नक्शा ट्रेस दर्शा रखा है। वह भी आराजी खसरा संख्या 838 के बदिशा दक्षिण में दर्शा रखा है परन्तु तात्कालीन पटवार हल्का ने वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि जमीन को माफिक अलोटमेन्ट मिसल के आधार पर कब्जा सिपुर्द कर दिया था परन्तु लट्ठा सीट मे तरमीम नही किया गया जबकि उक्त कृषि जमीन गैर खातेदार से खातेदारी मे दर्ज होकर वर्तमान मे वादीगण खातेदार कास्तकार है। लट्ठा सीट मे तरमीम नही होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने नाजायज फायदा उठाकर पटवार हल्का से मिलीभगत करके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादीगण के कब्जा शुद्धा कृषि जमीन की जगह प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने तरमीम करवाली, तरमीम करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा कास्त मे व्यवधान पैदा करने लग गए व लडाई झगडा करने लग गये व वादीगण के कब्जा से बेदखल करने पर उतारू होने लगे तब वादीगण ने पटवार हल्का से जानकारी करने पर मालूम हुआ कि खातेदारी कृषि जमीन तरमीम नही है इसलिये माफिक अलोटमेन्ट मिसल मे दर्ज नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व लट्ठा सीट मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की तरमीम को विलोपित कर वादीगण के खातेदारी कृषि जमीन को लट्ठा सीट मे तरमीम करने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना एंव वादीगण के कब्जा काश्त मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 बाधा न डाले न डलवाने की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है।

4. प्रतिवादी संख्या 6 भूमि हॉल्डर होने से व प्रतिवादी संख्या 7 के यहां वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का हिस्सा रहन होने से पक्षकार बनाया है।

5. वाद हेतुक दिनांक 3–10–2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की कृषि जमीन मे कास्त करने से कब्जा से बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरतंर जारी हैं।

6. अतः निवेदन है कि

(अ) कि वाद पत्र की चरण सख्या 1 में वर्णित कृषि जमीन को माफिक अलोटमेन्ट मिसल मे दर्ज नक्शा ट्रेस आराजी खसरा संख्या 838 के बदिशा दक्षिण में राजस्व लट्ठा सीट मे तरमीम करने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

(ब) वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि जमीन में वादीगण के कब्जा काश्त मे प्रतिवादीगण दखल अंदाजी न करे न अपने नोकर, एजेन्ट, रिश्तेदारो से करावे व वादीगण को फसल कास्त करने से न रोके, रूकवावे कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

7. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 10.12. 2019 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित्त होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में जवाब हेतु नियत थी और फिर कोरोना महामारी के कारण प्रार्थी / अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया और प्रार्थी/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी प्रार्थी को उक्त वादपत्र में पारित हुए निर्णय की जानकारी नहीं दी दिनांक 14.12.2020 को रेस्पोडेन्ट शांति मौके पर आकर अपीलार्थीगण से वाद–विवाद करने लगी और अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दी जिस पर अपीलार्थी द्वारा नक्शा ट्रैस लेने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर मिलने जानकारी व मिलने नकल से अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं किन्तु दिनांक 10.12.2019 से दिनांक 02.01.2021 तक की अतिरिक्त समयावधि व्यतीत हुई जिसको कण्डोन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं जिस हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है।

10. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नही की है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

11. अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / अपीलार्थीगण का स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.12.2019 से दिनांक 01.01.2021 तक की समयावधि को क्षम्य (कण्डोन) किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व विधि के सुस्थापित नियमों की पालना नहीं की एवं अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही कर तथा पत्रावली पर पक्षकारों के बयान लिये बगैर व बिना तनकियात कायम किये जो निर्णय पारित कर दिया हैं कानूनन पोषणीय नही होने से निरस्त होने योग्य हैं।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में जवाब हेतु नियत थी और दिनांक 27.09.2016 से दिनांक 17.10.2016 व 16.01.2017 व दिनांक 28.03. 2017 तक पीठासीन अधिकारी नही होने से सील लगाकर दिनांक 28.03. 2017 व 25.07.2017 की तारीख पेशी प्रदान की गई इसके उपरांत अंतिम अवसर दिया। किन्तु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कोरोना महामारी के कारण अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया और अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी अपीलार्थी को उक्त वादपत्र मे पारित हुए निर्णय की भी जानकारी नहीं दी हैं दिनांक 10. 12.2019 की तारीख पेशी पर पक्षकारान व अधिवक्ता के हस्ताक्षर भी नही हैं।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद को साक्ष्य से साबित नहीं कराया हैं, न ही दस्तावेज प्रदर्श कराये हैं व साक्ष्य के अभाव मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित कर दिया हैं जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी कृषक व्यक्ति होकर कृषि कार्य द्वारा ही अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करता चला आ रहा हैं यदि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना की गई तो अपीलार्थी व उसके स्वामित्व आधिपत्य व कब्जेसुदा भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा और अपीलार्थी प्राकृतिक न्याय से महरूम हो जायेगा। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त होने योग्य है।

16. अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कीजाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2019 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को अपना जवाब एवं दोनो पक्षकारों को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत दोनो पक्षों को सुना जाकर अजसिरे नो निर्णय पारित करने हेतु पुनः प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

17. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगणमियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । उनका यह निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह समुचित नहीं है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के प्रत्येक दिवस का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण दर्शाया जाना अनिवार्य है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह पर्याप्त नहीं होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

18. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में प्रतिवादी को जवाब का अवसर दिये जाने के बावजूद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । बहस के वक्त उपस्थित रहे थे। देरी के कारणों के लिए कथन किया कि प्रतिवादी उपस्थित था तो उसे जानकारी थी। संतोषप्रद कारण नहीं बताया है।

19. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में जवाब हेतु नियत थी और फिर कोरोना महामारी के कारण प्रार्थी / अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया और प्रार्थी/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी प्रार्थी को उक्त वादपत्र में पारित हुए निर्णय की जानकारी नहीं दी दिनांक 14.12.2020 को रेस्पोडेन्ट शांति मौके पर आकर अपीलार्थीगण से वाद–विवाद करने लगी और अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दी जिस पर अपीलार्थी द्वारा नक्शा ट्रैस लेने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर मिलने जानकारी व मिलने नकल से अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं किन्तु दिनांक 10.12.2019 से दिनांक 02.01.2021 तक की अतिरिक्त समयावधि व्यतीत हुई जिसको कण्डोन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं जिस हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है।

20. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नही की है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्‌भाविक है।

21. अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / अपीलार्थीगण का स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.12.2019 से दिनांक 01.01.2021 तक की समयावधि को क्षम्य (कण्डोन) किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

22. प्रत्यर्थीगण की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्‌भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

23. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

का अवलोकन किया गया । रेकार्ड अनुसार पत्रावली जवाब दावे में चल रही थी। जवाब से सीधे ही वाद स्वीकार कर निर्णय पारित कर दिया जो विधिक प्रकिया का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय को जवाब का उचित अवसर प्रदान कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिये थी और निर्णय पारित करना चाहिये था। इस प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिकी का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एव डिकी दिनांक 10.12. 2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को जवाब का अवसर प्रदान कर तदनुसार तनकी कायम कर, साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विस्तृत विश्लेषण के साथ 6 माह के अन्दर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9 5/26 को उपस्थित रहे।

25. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 13.2.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा